20/08 2017 10:20

#0615 P.001

पत्रांक— 2484 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग।

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,

प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सहरसा, खगड़िया, सारण एवं समस्तीपुर।

पटना—15, दिनांक— 20/8/17

विषय — **बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच वितरण हेतु फूड पैकेट में आलू की जगह सोयाबीन की बड़ी उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग— **विभागीय पत्रांक—2368 / आ0प्र0, दिनांक—15.08.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य में बाढ़ की विभीषिका के आलोक में बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था मुहैय्या कराने हेतु फूड पैकेट्स के वितरण से संबंधित विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये थे। फूड पैकेट में चावल, दाल, आलू, नमक, हल्दी का छोटा पैकेट इत्यादि सामग्री दी जानी थी।

इस संबंध में कतिपय जिलों से इस आशय की सूचना प्राप्त है कि पॉलीथीन के पैकेट में दो दिनों के बाद आलू सड़ने लगता है तथा फूड पैकेट में बंद खाद्य सामग्री खाने लायक नहीं रह जाती है।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि जिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में फूड पैकेट के पैकेटिंग के बाद वितरण में 24—36 घंटे का समय लगता है, उन इलाकों में फूड पैकेट में आलू का प्रयोग किया जाय तथा जिन इलाकों में पैकेटिंग के बाद वितरण में 24—36 घंटे से अधिक समय लगने की संभावना है, उन इलाकों में फूड पैकेट में आलू के स्थान पर ½ कि0ग्रा0 सोयाबीन के बड़ी का प्रयोग किया जाय।

फूड पैकेट के संबंध में पूर्व में दिये गये शेष निदेश यथावत् रहेंगे।

विश्वासभाजन

19/8

प्रधान सचिव।